

मात्स्यगंधा

2006

मात्स्यिकी संपदा और प्रबंधन



केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

कोची 682 018



भारत की समुद्री प्रग्रहण मात्स्यिकी - एक अवलोकन

एन.जी.के. पिल्लै और यू. गंगा

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन, केरल

भूमिका

खाद्य कृषि संगठन 1995 के अनुसार मात्स्यिकी संपदाओं का निरंतर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए इन संपदाओं पर सूचनाएं समाकलित करना, प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करना और उनके अनुसार निर्णय लेते हुए आज और आगामी दिनों के लिए नियमों को लागू करना मात्स्यिकी प्रबंधन है। मात्स्यिकी प्रबंधन का परम लक्ष्य उच्चतम उत्पादन प्राप्त करने होते हुए भी संपदाओं के अनुरक्षण से आगामी दिनों के लिए इन प्रभवों को बनाया रखना भी है। हाल में इन लक्ष्यों में आर्थिक व सामाजिक लाभ के साथ ही साथ पर्यावरणीय सुरक्षा भी जोड़ी गयी है।

भारतीय समुद्री मात्स्यिकी का रूपचित्र

भारतीय समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में खुला अभिगम चलता है याने कि समुद्र किसी का संपत्ति न होने के संदर्भ में मछली पकड़ने का अधिकार सबको है। मछली की जाति, उनका समुद्र में मैजूद स्थान और प्रवाह के साथ का वितरण के अनुसार इस बहुजाति प्रभव (जिस में वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण 200 से अधिक पख और कवच मछली जातियाँ) की पकड़ बहुविध मत्स्यन संभारों (गिलनेट, ड्रिफ्ट नेट, हुक आन्ड लाइन, पॉल आन्ड लाइन, ट्राप्स, बैग नेट, रिंगसीन, पर्ससीन, ट्रॉल) और

पत्रव्यवहार : डॉ. एन.जी.के. पिल्लै

प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, वेलापवर्ती मात्स्यिकी प्रभाग, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, एरणाकुलम नोर्त पी.ओ., कोची - 682 018, केरल

बहुविध जलयानों से की जाती है। भारत की समुद्री मात्स्यिकी आज कल 4,170 मिलियन रुपयों के उद्योग के रूप में विकसित हुई है। तटीय समुद्र में होनेवाले वर्धित मत्स्यन दबाव ने मछुवारों के बीच होड पैदा की है। मत्स्यन संभारों का विवेकहीन उपयोग से वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मछलियों के बच्चों का नाश, कम मूल्यवाली मछलियों की अवांछित पकड़ से होनेवाला नष्ट, पर्यावरण प्रदूषण से होनेवाली अवनति, जलीय जैवविविधता का नष्ट आदि समस्याएं भी दिखाई पड रही है।

भारतीय समुद्रवर्ती मेखला अधिनियम 1976 के अनुसार देश को अनन्य आर्थिक मेखला (EEZ) के 2.02 मिलियन वर्ग कि. मी. के अंदर के जैव और अजैव संपदाओं का प्रबंधन अधिकार है। इतने बडे क्षेत्र की मात्स्यिकी संपदाओं का प्रबंधन खुले अभिगम के कारण संकीर्ण बात है। समुद्रवर्ती राज्यों के मत्स्यन विनियम आधिनियमों में मत्स्यन रीति, क्षेत्र का विनियमन, मत्स्यन यानों व संसारों के स्वरूप और परिचालन रीति को नियंत्रित करने के नियम आम तौर पर दिखाए पडते हैं। आगामी दिनों में भारतीय समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए निम्नलिखित उपायों पर ज़ोर देते हुए प्रबंधन नीतियाँ विकसित की जानी चाहिए।

1. मत्स्यन प्रयास में घटाव

आम तौर पर मान लिया गया है कि भारतीय समुद्री मात्स्यिकी सेक्टर में मछली पकड़ने का प्रयास (श्रम) अधिक हो रहा है विशेषकर यंत्रिकृत मत्स्यन ट्रालरों का। सिवा इसके इन मत्स्यन पोतों के इंजनों का परिचालन शक्ति बढ़ाने, मत्स्य



खोज उपकरणों से सजाये बड़े संभारों को बिछाने, बड़ी धारितावाले शीतीकरण संभरणियों की सुविधा और मत्स्यन दिवस बढ़ाने से समुद्री संपदाओं का बढ़ोतरना आसान हो गया है। संपदाओं के प्रजनन और भर्ती के अनुसार का संभरण नहीं होने और इन सुविधाओं से अत्यधिक अवाछित मछलियों की पकड व नाश होने के कारण मत्स्यन श्रम घटाना समिचीन होगा।

2. मत्स्यन पोतों के वैविधीकरण से विनिर्दिष्ट मछलियों की पकड

उपतट समुद्र में मत्स्यन दबाव बढ़ जाने के संदर्भ में वर्तमान मत्स्यन पोतों को, गहरा सागर मछलियाँ जैसे गोड फिश, करंजिड, रिबन फिश, लिज़ार्ड फिश, बिल फिश, ट्यूना व शार्क जिसकी पकड वहनीयतम स्तर से अधिक नहीं हुई है, को भी पकडने के अनुसार ही बदलना है। वैसे मछलियों के आकार के अनुसार के संभारों के प्रयोग से मछलियों की पकड करना है। इस सिलसिले में बड़े जालाक्षिवाले गिलनेट, डोरों जैसे लंबी डोर, काँटा-डोर, स्क्वड जिगिंग आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3. जालाक्षि-आकार विनियम और तरुण मछली पकड पर नियंत्रण

ट्रालजाल और जाल की छोटी जालाक्षियों से कई वाणिज्य प्रमुख मछलियों के तरुणों का भारी नाश होता है। भारत में जालों के घागाग्र का आकार बहुत छोटा याने कि 10 मि. मी. है जबकि सिफारिश किया गया आकार 30 मि.मी. है। अतः 35 मि.मी. का आकार नियत करना चाहिए। केरल के उपतट व मान्नार खाडी में मत्स्यन करनेवाले मिनि ट्राल से पर्यावरण तंत्र और मछली तरुणों का नाश होता है।

पिछले दशाब्द में केरल के तटों में वलय संपाशों का प्रचालन बढ़ गया है। ऐसे गियर >1000 मी., जलपोत >75 फूट ओ ए एल व पोत की इंजन शक्ति >180 अ.श. में बढ़ा दिया है। ऐसे मत्स्यन एककों के परिचालन से कई जीवनक्षम

जातियाँ जैसे तारली, बाँगडा आदि की भारी मृत्युता दिखाई पडती है। तटीय समुद्रों में श्रिप के बीज के लिए किए जानेवाले मत्स्यन में सैकड़ों वाणिज्य प्रमुख मछलियों के डिंभक व तरुण बर्बाद हो जाते हैं। इसे रोकना अनिवार्य है।

4. मछली पकड में निम्नतम वैध आकार/भार का नियतन

पॉम्फ्रेट व लॉबस्टर बड़े इष्ट की संपदा होने के कारण इनके बढ़ने से पहले अति विदोहन होने की संभावना है। इसे मानते हुए सी एम एफ आर आइ ने लॉबस्टर की चार जातियों की पकड के समय का आकार नियत किया। इसके आधार पर वाणिज्य मंत्रालय ने इन चार जातियों के पकड समय का भार भी नीचे के अनुसार नियत किया।

पानिलुरस होमारस - 200 ग्रा.

पी. पॉलिफागस - 300 ग्रा.

पी. ऑरनाटस - 500 ग्रा.

थेनस ऑरियेन्टालिस - 150 ग्रा. और पॉम्फ्रेट 300 ग्राम

5. पकड बंद मौसम और सुरक्षित मेखलाएं

भारत में मानसून के दौरान मछली पकड बंद करने का विचार मछलियों के प्रजनन काल को मानते हुए लागू किया जाता है फिर भी परंपरागत मछुवारों के जीविकोपार्जन पहलू पर विचार करते हुए सिर्फ यंत्रिकृत मत्स्यन पर रोक लगा जाता है। इस दौरान मछलियों के जाने माने प्रजनन गेह जैसे गल्फ और मान्नार की खाडियों को सुरक्षित मेखला घोषित करते हुए मत्स्यन पर रोक लगा दी जाती है।

6. मछली रैंचन

भारत में मछली रैंचन पद्धति का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। सी एम एफ आर आइ ने पेनिअइड झींगा, मुक्ता शुक्ति और सीपियों की संपदा बढ़ती के लिए समुद्र रैंचन कार्यक्रम अनुकूल स्थानों में किया। राज्य सरकारों और अन्य सहकारी संघों के सहयोग से रैंचन कार्य को आगे बढ़ाना है।



7. अनुवीक्षण, नियंत्रण और चौकसी

ऐसे विकसित देशों में जहाँ मात्स्यिकी गहन पूँजी अर्जन का साधन है वहाँ मात्स्यिकी प्रबंधन उपाय जैसे मत्स्यन करने को कोटा, लाइसेंस, मौसमी रोक, गिअरों के नियंत्रण के साथ साथ चौकसी भी चलाता रहता है। चौकसी तटों और समुद्र में जलपोतों और वायुयानों के ज़रिए निष्पादित किया जाता है। भारत में 12 nm के बीच का चौकसी राज्य सरकार और 200 nm के परे का भारत सरकार का दायित्व है। वर्तमान कार्य में नीतिगत परिवर्तन, प्रबलीकरण करके संपदाओं के परिरक्षण के अनुरूप की नीतियाँ रूपाइत करनी चाहिए।

8. सहकारी प्रबंधन

मात्स्यिकी में मुख्य रूप से लगे हुए लोगों को निर्णय लेने और देने के काम में लगा दें तो मात्स्यिकी प्रबंधन सफल हो जायेगा। सहकारी कार्यों से मछुवारे उत्पाद को अर्ह का आय कमा सकते हैं। राज्य व केंद्र सरकार के विस्तार कार्मिक के सहयोग से मात्स्यिकी व पर्यावरण के परिरक्षा पर जागरूकता जगायी जा सकती हैं

9. उत्तरदायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के लिए एफ ए ओ की आचरण संहिता

विश्व खाद्य संगठन द्वारा वर्ष 1995 में दायित्वपूर्ण मात्स्यिकी के प्रबंधन के लिए मात्स्यिकी से जुड़े सभी जैविक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, पर्यवरणीय व सामुदायिक पहलुओं पर विचार करते हुए दायित्वपूर्ण मत्स्यन के लिए आवश्यक मत्स्यन

रीतियाँ व प्रयोग पर एक मानक सिद्धांत और इनके अनुवर्तन पर आचरण संहिता बनाया। भारत में मात्स्यिकी में लगे सभी लोगों के बीच इसका प्रचार किया जाना है।

10. पर्यावरण आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन

मात्स्यिकी के रूपात्मक व प्रयोगात्मक घटकों पर विचार करते हुए पर्यावरण हितैषी अभिगम से संपदा प्रबंधन पर वर्ष 1998 में यू एस नैशनल परिषद में विवाद हुआ था। इसके अनुसार पर्यावरण तंत्र के बहुविध जीवजातों और उनके आवासों की व्यवस्था सुदृढ़ है और निरंतर बनायी रखी जाती है। यहाँ की जैवविविधता और पुनरुत्पादकता को कायम रखे जाने को इन संबंधों को तंग न करना है। पर्यावरण तंत्र पर आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन को एफ ए ओ ने 2002 को स्वीकारा था जिसको भारत में भी प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

मात्स्यिकी प्रबंधन आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी की लाभ-लागत से जुड़ी एक अन्योन्य क्रिया है जिसे समझकर हस्तक्षेप तैयार किया जाना है। अनुपयोगी पकड से मूल्यवर्द्धित उत्पादों की तैयारी, प्रभव वर्धन के लिए समुद्र रैंचन, कृत्रिम आवास निर्माण से उत्पादन वर्धन, समुद्री पालन प्रौद्योगिकियों से उत्पादन में बढ़ावा आदि बातों को मात्स्यिकी प्रबंधन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ प्रबंधन नीतियों की आवधिक समीक्षा व पुनर्रचना भी अभिकाम्य होगा।

मुख्य शब्द/Keywords

पख मछली - finfish

कवच मछली - shell fish

उपतट - inshore

रैंचन - ranching

आचरण संहिता - code of conduct

